

8.5.18

पमावली) आप क्रम कोर्ट बलावा में पेश हुई
पमावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।
प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित भूमि ख.नं. 875 रकबा
2.45 हे. न्यायालय हाजा के मु.नं. 309/2016
आवली राज. सरकार द्वारा युगावी देवी आदि विनम 0.44
आ. धारा 177 आर.टी. स. के निर्णय दिनांक 15.2.18
के द्वारा उक्त वर्णित भूमि को राजकीय भूमि घोषित
किया जा चुका है। इस विनम प्रस्तुत वाद पत्र का
कोई औचित्य नहीं रह गया है। वाद पत्र इसी संदर्भ
पर स्वारिष किया जाता है। पमावली के काम शुमार
होकर नम्बर के काम डाला जा रहा है।
निर्णय आप दिनांक 8.5.18 को क्रम कोर्ट बलावा
में सुनाया गया।

उप
सदयपुरवाटा (बुन्दुन)